

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

मोपाल, दिनांक २५/३/१०

:: आदेश ::

हमारे एक ४४-२५/२०-२/२०१०:: राज्य शासन सत्र द्वारा विमान द्वारा तेज़ी से  
तमस्त उत्कृष्ट विद्यालयों में तंत्राधरों की उपलब्धता के आधार पर अधिकारी ३० तीव्र  
तक अथवा उससे कम तेज़ी में जीटों वाली शूटिंग को जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।  
शासन द्वारा हत तीव्र शूटिंग के लिये कोई अतिरिक्त वित्तीय तंत्राधर शुद्धारणा नहीं  
किये जाएंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यवाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

। सत्य ईन्हे शर्मा ।

उष सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा

पृ०क० एक ४४-२५/२०-२/२०१०

मोपाल, दिनांक २५/३/१०

प्रतिलिपि:-

- १- निव तथि, मास्मीष मंत्री थी/राज्य मंत्रीषी/स्कूल शिक्षा विभाग
- २- आदुका, लोक शिक्षा, म०प्र०मोपाल
- ३- आदुका, राज्य शिक्षा बोर्ड, म०प्र०मोपाल
- ४- तमस्त तंत्रागिकड़ा बुद्धत, म०प्र०
- ५- तमस्त बोर्ड प्र०प्र०
- ६- तमस्त तंदुका तंदामल, लोक शिक्षा, म०प्र०
- ७- तमस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म०प्र०
- ८- आदेश कुल्लिया

५। से ७ की ओर सूचनार्थ इवं आकाशक छार्चाली हेतु।

उष सचिव २५/३/१०

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

२५/३/१०  
०.४.१०  
(Excellence)  
२५/३/१०

// 2 //

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल-462021  
दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651  
ई-मेल **dpiassembly-mp@nic.in**

पृष्ठाकंन कमांक— उ.वि.सेल / व्यापम / 46./ 2010-11 / ८८ भोपाल, दिनांक २९) ३/ १०  
प्रतिलिपि:-

- 1— प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
- 2— आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुडा भवन, भोपाल।
- 3— नियंत्रक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल म0प्र0भोपाल
- 4— समस्त कलेक्टर एवं अध्यक्ष, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंध समिति, म.प्र.।
- 5— समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
- 6— समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म0प्र0
- 7— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
- 8— समस्त प्राचार्य, शा. उत्कृष्ट विद्यालय( जिला मुख्यालय) म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण, म0प्र0